

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-505Ju2024-210 Nakhatsingh ors Vs State of Rajasthan

01. नखतसिंह पुत्र नगसिंह
 02. उदयसिंह पुत्र नगसिंह
 03. भवानीसिंह पुत्र नगसिंह
 04. पहाड़सिंह पुत्र नगसिंह
 05. चन्द्रकंवर पुत्री नगसिंह
 06. मनोहरकंवर पुत्री नगसिंह
- सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम रावरा, तहसील बाप,
जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला
फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप
दिनांक 30 अक्टूबर 2024 राजस्व वाद संख्या
45/2023 नखतसिंह व अन्य बनाम राजस्थान
सरकार

0

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक : 06 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2023 नखतसिंह व अन्य बनाम
राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के
खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 27 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की
है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव रावरा, तहसील बाप में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 33 वर्तमान खसरा नं. 33/2 रकबा 94.9796 हैक्टेयर में से 45 बीघा भूमि को अपनी आवंटन सुदा भी बताते हुए उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। ग्राम रावरा के मूल खसरा नं. 33 वर्तमान खसरा नं. 33/2 रकबा 94.9796 हैक्टेयर भूमि में से 45 बीघा भूमि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 10.09.1968 को आवंटित की। यह निर्विवाद तथ्य विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध थे, इस कारण विचारण न्यायालय को आवंटन आदेश की पालना में कानूनन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने थे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज कर दिया, जो भयंकर कानूनी भूल है। वादी का वाद माफिक आवंटन आदेश डिक्री योग्य है। राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि खसरा नं. 33/2 में से 45 बीघा भूमि दिनांक 10.09.1968 को मिसल नंबर 252/68 से आवंटित हुई है। इस कारण विचारण न्यायालय के पास में इकबालिया जवाब आने के कारण वाद को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, फिर भी वाद को खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में तीन तनकीयात कायम किये लेकिन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तनकीवार नहीं किया

राजस्थान अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने काबिल है, क्योंकि नियमित वाद में अगर तनकीयात कायम कर दिये है तो निर्णय भी तनकीवार किया जाने का आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना न करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में आवंटन आदेश मिसल नंबर 252/68 को माना है कि भूमि आवंटित हो रखी है। तहसीलदार बाप की मौका रिपोर्ट अनुसार वादी द्वारा मकान, बाड़ा, तारबंदी, धोरापाली कर कब्जा किया हुआ है। उक्त कब्जा वादीगण द्वारा खातेदार काश्तकार के रूप में किया गया है, न कि अतिक्रमी के रूप में। विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज होने के आधार पर सरसरी दृष्टि से वादी के वादर को खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम व आवंटन नियमों के अनुसार पुराने काबिज काश्त व्यक्ति एवं आवंटन हो चुकी भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का कार्य राजस्व कर्मचारियों का है। वादीगण सन् 1968 से लेकर आज दिन तक आवंटित भूमि पर काबिज है व काश्त निरंतर करते आ रहे है। वादी कानूनन खातेदार काश्तकार है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल से राजस्व रेकॉर्ड में आवंटन आदेश की पालना नहीं हुई है। इस कारण वादरी को यह घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में पेश करना पड़ा था। इस वाद का मुख्य बिंदु गुणावगुण पर यह है कि खसरा नं. 33/2 ग्राम रावरा में से 45 बीघा भूमि वादी को आवंटित हो चुकी थ। उस आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण वादी के नाम दर्ज करना था। विचारण न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश को विधिसम्मत मानते हुए भी वाद खारिज कर दिया जो किसी भी सूरत में समर्थन करने योग्य नहीं है।




राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलान्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2024 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का वाद स्वीकार कर ग्राम रावरा तहसील बाप के खसरा नं. 33/2 रकबा 94.9796 हैक्टेयर में सें 45 बीघा भूमि आंवटन मिसल नंबर 252/68 के माफिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी अपीलार्थी/वादी की आंवटित भूमि में किसी प्रकार की दरखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1296, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 814, आर.आर.टी. पेज 2005(2) पेज 1362, आर.आर.टी.2014-21015(सप्ली.) पेज 731, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 921, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 538, आर.आर.टी. 1999 पेज 128 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेसपो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलान्तस वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलान्तस के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलान्तस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श-1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मिसल संख्या 252/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये तहसीलदार फलोदी


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 33 में से रकबा 45 बीघा वादीगण/अपीलांडस की माता खमा कंवर पत्नी नगसिंह कौम राजपूत, निवासी- रावरा के नाम संवतः 2022 से खातेदारी/गेर खातेदारी बाद वसूली नामांतरण दर्ज करने की स्वीकृति दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादी तहसीलदार बाप द्वारा अपने जवाब में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उक्त भूमि वादी को मिसल संख्या 252/68 दिनांक 10.09.1968 के जरिये आवंटन सुदा भूमि है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.07.2023 में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 33 वर्तमान खसरा नंबर 33/2 में 45 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बताया गया है। 2024(2)आर.आर.टी. 1296 में माननीय मण्डल की खण्ड-पीठ ने यह धारित किया है कि आवंटित भूमि में पक्षकारान् के कब्जे-काश्त को नकारा नहीं जा सकता है। आवंटन के 10 वर्षों के पश्चात पक्षकार खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त करने का हकदार है। हस्तगत मामले में वादग्रस्त आराजी में मौके पर वादी की पुरानी ढाणी मय टांका बना होने तथा वादग्रस्त आराजी के चारों ओर तारबंदी की हुई होने का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रतिवादी राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी तय करते हुए निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई है: -

01. आया वादी ग्राम रावरा पटवार क्षेत्र सांवरागांव तहसील बाप, जिला फलोदी के खसरा नं. 33 वर्तमान खसरा नं. 33/2 रकबा 94.9796 हैक्टेयर में से रकबा 45 बीघा माफिक आवंटन मिसल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नंबर 252/68 दिनांक 10.09.1968 के अनुसार खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी....

02. आया वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करवाने के अधिकारी है कि वादी के आवंटन अनुसार उक्त भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में दखलंदाजी न तो प्रतिवादी स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे?

जिम्मे वादी.....

03. आया प्रतिवादी उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज है, वादी द्वारा उक्त भूमि पर मकान, बाड़ा, तारबंदी व धोरापाली इत्यादि बना कर कब्जा किया हुआ है, जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है?

जिम्मे प्रतिवादी.....

दादरसी?

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर किये बिना तथा विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवचेन नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप अपीलांट्स अवसर प्रदान


राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मत: एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2023 नखतसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अक्टूबर 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत, विधिसम्मत: एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर